



602/1

दूरभाष 2286709
2286710

नव बेला कंटक 10 अशोक गार्ड, लखनऊ 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

पत्रांक : ५११३/०५/७६/एक/२०१५-१६
सेवा में

दिनांक : ३१ मार्च २०१६

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-सिद्धार्थनगर।

विषय : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूड़ा) को अत्यसंख्यक बाहुल्य वस्तियों तथा मलिन वस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक बाहुल्य वरितयों तथा मलिन वरितयों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-३७/८३) में गिम्नलिखित दिवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जा रही है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु० में)			
क्र० सं	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम
		कैंक आफ बड़ौदा	31780100002085
		HSC Code BARBOTI TARI	182.438

(धनराशि लाख रु० में)

क्र० सं	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	वसी/पार्श्व का नाम	द्वितीय किश्ती की धनराशि का प्रेषण
1	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में तीरथ के घर से वरकत के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.562
2	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में रातान्ू के घर से राई के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.866
3	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में जमील के घर से लयन्ू के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.118
4	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में राई के घर से पहुँचा के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.274
5	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	आजाद नगर में विनो के घर से राधश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग, नाली एवं २ मी० रपान की आर०सी०री० पुलिया निर्माण कार्य।	12.179
6	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में राफा रकूल के आग वन्धे तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.683
7	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में अपीरा के वाउण्डीवाल रो नीखान तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.754
8	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में अजय मिश्रा के घर के पीछे से जुबर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.382
9	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	इन्दिरानगर में जुबर के घर से अहमद के वाउण्डीवाल तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.902
10	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-३७ बजट	न०प० दुमरियागंज	आजादनगर में गान्दर से अगिलाप पाण्डेय के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	14.998



602/2

दूरभाष 2286709
2286710

नव घोषना कंक्र 10 असाक मार्ग लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्रो सं	जनपद का नाम	अत्यसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	दस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किस्त की धनराशि का प्रेषण
11	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न0प0 दुमरियामंज	आजादनगर में पिंच रोड से ओर के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.598
12	सिद्धार्थनगर	अत्यसंख्यक-37 बजट	न0प0 दुमरियामंज	आजादनगर में भल्लू के घर से गोले बीघरी के घर तक इण्टरलाकिंग एवं नाली निर्माण कार्य।	15.122
	योग				182.438

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी थोकों की अत्यसंख्यक वाहुल्य वसिताओं तथा मलिन वरिताओं में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये-

- उ0प0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अत्यसंख्यक वाहुल्य वसिताओं तथा मलिन वसिताओं में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु रवीकृत शी0पी0आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोलोअप्र क्रांति दशा में सम्बन्धित प्रावधानी में रखा जाये।
- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समान्य स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राक्षम स्तर से तकनीकी स्त्रीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि के रापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि रवीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दूरप्योग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई रवीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में रवीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुरितका के सुरांगत प्राविधिकों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुक्ति रख रखाव में कोई वाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रगाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रगाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- उक्त धनराशि लूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्णों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं रवीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि पे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटीती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिवर्णों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।
- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्त्रीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की देशवृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंग।



602/3

पूरमाण- 2286709

2286710

नव घोटाला कंच 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभियान, उ.प्र.

12-

शारान द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमत्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्ताप्रक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यव की गई धनराशि के सापेक्ष गौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभियान को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिरासे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तादैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभियान, राम्बांधत जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधिकारी अभियन्ता—सूडा
4. कम्यूटर सेल / लेखा विभाग—सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक